FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर

उनवान :— श्रीश्री 1008 साकेत धाम देवा ट्रस्ट बनाम नगर विकास न्याय

किस्म मुकदमा अपील नम्बर 12/03/2018.

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.04.18	आज यह अपील हमारे समक्ष नियत तिथी को वास्ते क्षेत्राधिकार पर बहस हेतु पेश हुई। अपीलान्ट वकील ने निवेदन किया कि अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर दिनांक 05.12.2017 द्वारा अपीलान्ट को बेदखल किया गया था। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 91(क) तथा 91(ग) के अन्तर्गत उप धारा–72 व 73 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संभागीय आयुक्त के क्षेत्राधिकार में है। अपील अदालत इस न्यायालय द्वारा सुनने योग्य ना होकर संभागीय आयुक्त के श्रवण योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील वापिस किये जाने के आदेश पारित किये जावें ताकि अपीलान्ट उसे समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत कर सकें। हमनें अपीलान्ट वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास अलवर द्वारा दिनांक 05.12.2017 को जारी किया है। अपीलान्ट द्वारा त्रुटि से अपील पेश कर दी जबकि न्यायालय हाजा को सुनवाई का अधिकार नही है। अतः अपीलान्ट वकील का कथन स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की मूल अपील अपीलान्ट को वापिस लौटाने के आदेश दिये जाते है। अपील मीमों की प्रमाणित फोटो प्रति प्रमाणित पत्रावली में रखी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। सुनाया। जिला कलक्टर अलवर (राज0)	